प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अध्यक्ष, पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5. निदेशक,चिकित्सा उपचार एवं नोडल अधिकारी क्वालिटी एश्योरेंस उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, परिवार कल्याण, मात् एवं शिशु कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
7. संयुक्त निदेशक, अरबन हेल्थ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
8. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
9. वीरांगना अवंती बाई महिला चिकित्सालय एवं डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, उ0प्र0,लखनऊ ।
10. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, चिकित्सा उपचार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
11. राज्य प्रतिनिधि, यूनीसेफ एवं जपाईगो उ0प्र0, लखनऊ।
12. महाप्रबंधक–जल संस्थान उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्र संख्या –59/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/क्यू.ए/2025–26/SQAC/ 3279-12 दिनांक 19-09-2025

विषयः– राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति की बैठक का कार्यवृत्त प्रेषण के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

आप अवगत है क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मेंटॉरिंग हेतु राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में 'राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति का गठन किया गया है, जिसमें आप पदाधिकारी/सदस्य के रूप में नामित है।

अवगत कराना है कि उक्त समिति की बैठक दिनांक 22 अगस्त, 2025 को अपराहन् 3:00 बजे से राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई 16–ए0पी0 सेन रोड, मण्डी परिषद भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र के साथ संलग्न हैः–

कृपया अपने से संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक –यथोक्त

भवदीया,
17/9/25
(डॉ0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक

पत्रांक : –59/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/क्यू.ए/2025–26/SQAC/ तद्दिनांकः

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0,लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. महाप्रबंधक–मातृ स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, बाल स्वास्थ्य, अरबन हेल्थ, एन.सी.डी. एवं कम्युनिटी प्रोसेस राज्य प्रबंधक इकाई एन.एच.एम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(डॉ0 एम. एस. अहमद)
महाप्रबंधक–क्यू0ए0

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अध्यक्ष, पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक,चिकित्सा उपचार एवं नोडल अधिकारी क्वालिटी एश्योरेंस उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, परिवार कल्याण, मात् एवं शिशु कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
7. संयुक्त निदेशक, अरबन हेल्थ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
8. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
9. वीरांगना अवंती बाई महिला चिकित्सालय एवं डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, उ0प्र0,लखनऊ।
10. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, चिकित्सा उपचार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
11. राज्य प्रतिनिधि, यूनीसेफ एवं जपाईगो उ0प्र0, लखनऊ।
12. महाप्रबंधक–जल संस्थान उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या –59/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/क्यू.ए/2025–26/SQAC/ दिनांक 19-09-2025

विषयः– राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति की बैठक का कार्यवृत्त प्रेषण के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

आप अवगत है क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मेंटॉरिंग हेतु राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में 'राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति का गठन किया गया है, जिसमें आप पदाधिकारी/सदस्य के रूप में नामित है।

अवगत कराना है कि उक्त समिति की बैठक दिनांक 22 अगस्त, 2025 को अपराहन् 3:00 बजे से राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई 16–ए0पी0 सेन रोड, मण्डी परिषद भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र के साथ संलग्न हैः–

कृपया अपने से संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक –यथोक्त

भवदीया,

(डॉ0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक

पत्रांक : –59/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/क्यू.ए/2025–26/SQAC/ 3279-12(3) **तददिनांकः**

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0,लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. महाप्रबंधक–मातृ स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, बाल स्वास्थ्य, अरबन हेल्थ, एन.सी.डी. एवं कम्युनिटी प्रोसेस राज्य प्रबंधक इकाई एन.एच.एम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(डॉ0 एम. एस. अहमद)
महाप्रबंधक–क्यू0ए0

कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस एवं राज्य स्तरीय कायाकल्प समिति बैठक दिनांक 22 अगस्त, 2025

राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस एवं राज्य स्तरीय कायाकल्प समिति बैठक दिनांक 22 अगस्त, 2025 को प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में निम्न प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. डॉ0 पिंकी जोवल, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
2. श्री धीरेन्द्र सिहं सचान, अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण, निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
4. डॉ0 संदीपा श्रीवास्तव, निदेशक चिकित्सा उपचार, उत्तर प्रदेश।
5. डॉ0 ज्योति मेहरोत्रा, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक,वी.ए.बी. जिला महिला चिकित्सालय, लखनऊ।
6. डॉ0 आलोक कुमार, अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
7. डॉ0 (मेजर) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा उपचार, उत्तर प्रदेश।
8. डॉ0 उदय प्रताप ,संयुक्त निदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय।
9. डॉ0 अश्वनी कुमार, संयुक्त निदेशक, अर्बन हेल्थ स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
10. डॉ0 सरिता सक्सेना, एवं डॉ0 सलमान, वरिष्ठ सलाहकार वीरागंना अवन्ती बाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ।
11. डॉ0 संजय कुमार एवं डॉ0 एस.के. सिंह वरिष्ठ सलाहकार, डॉ0 एस.पी.एम. सिविल हास्पिटल, लखनऊ।
12. डॉ0 उषा गंगवार, महाप्रबंधक–कम्युनिटी प्रोसेस, एस.पी.एम.यू.,एन.एच.एम.,उत्तर प्रदेश।
13. डॉ0 आर.पी.दीक्षित, महाप्रबंधक–मातृ स्वास्थ्य, एस.पी.एम.यू.,एन.एच.एम.,उत्तर प्रदेश।
14. डॉ0 सुर्यांशु ओझा, महाप्रबंधक–परिवार नियोजन/ब्लड सेल,एस.पी.एम.यू.,एन.एच.एम.,उत्तर प्रदेश।
15. डॉ0 मिलिन्द बर्धन, महाप्रबंधक–बाल स्वास्थ्य, एस.पी.एम.यू.,एन.एच.एम.,उत्तर प्रदेश।
16. डॉ0 आर.एस.यादव, महाप्रबंधक–एन.सी.डी.,एस.पी.एम.यू.,एन.एच.एम.,उत्तर प्रदेश।
17. डॉ0 एस.के. गौतम, महाप्रबंधक–एन.यू.एच.एम, एस.पी.एम.यू.,एन.एच.एम.,उत्तर प्रदेश।
18. डॉ0 संजय त्रिपाठी, स्टेट लीड, जपाईगो, उत्तर प्रदेश।
19. श्री जॉन एंथोनी, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, यू.पी.टी.एस.यू. उत्तर प्रदेश लखनऊ।
20. डॉ0 आरती गुप्ता, ए.एस.ओ.,उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड,उत्तर प्रदेश।
21. डॉ0 बन्दना सिंह, वरिष्ठ उपनिदेशक,यू.पी0टी.एस.यू. उत्तर प्रदेश।
22. अन्य अधिकारी/प्रतिभागियों की उपस्थिति सूची संलग्न।

मिशन निदेशक महोदया द्वारा बैठक का शुभारम्भ करते हुये क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों की प्रगति पर प्रकाश डाला गया। बैठक में एन.क्यू.ए.एस. सर्टिफिकेशन, लक्ष्य सर्टिफिकेशन, मुस्कान एवं कायाकल्प स्कीम की प्रगति समीक्षा तथा उपलब्धि में वृद्वि हेतु गहन विचार–विमर्श किया गया। महाप्रबंधक–क्यू.ए. द्वारा क्वालिटी एश्योरेंस द्वारा क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम एवं कायाकल्प स्कीम के उपलब्धियों, चुनौतियों एवं आगामी रणनीति पर प्रस्तुतीकरण दिया गया।

- अब तक एन.क्यू.ए.एस. सर्टिफिकेशन, के अन्तर्गत नेशनल एन.क्यू.ए.एस. सर्टिफिकेशन चिकित्सा इकाईयों (DH-70,CHC- 60 PHC- 21 UPHC -14 AAM-SC 1692) को सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है।
- चिकित्सा इकाईयों के नेशनल एन.क्यू.ए.एस. सर्टिफिकेशन की संख्या आधार पर उत्तर प्रदेश (जुलाई, 2025 तक) देश में प्रथम स्थान है जिसकी प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, द्वारा सराहना की गयी साथ ही निर्देशित किया कि उक्त उपलब्धि की निरंतरता बनाये रखने के प्रयास किया जायें।

- अब तक 15 चिकित्सा इकाईयों को मुस्कान सर्टिफिकेशन एवं 90 चिकित्सा इकाईयों को लक्ष्य सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है।
- कायाकल्प स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में 4981 चिकित्सा इकाईयों (DH-110,CHC- 488 PHC-581 UPHC -229 AAM-SC 3573) कायाकल्प इंसेन्टिव हेतु अर्ह हुई।

बैठक में निम्न निर्णय लिये गये :–

1. NQAS सर्टिफिकेशन की प्रगति बढ़ाने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सर्टिफिकेशन हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर मानव संसाधन, उपकरणों तथा केस लोड के आधार पर क्षमतायुक्त चिकित्सा इकाईयों का चिन्हिकरण किया जायें, जिससे कि एन.क्यू.एस.एस सर्टिफिकेशन की गतिशीलता बढ़ायी जा सके।

   (कार्यवाहीः निदेशक चिकित्सा उपचार/महाप्रबंधक–क्यू.ए./एन.यू.एच.एम./समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी)

2. चिकित्सा इकाईयों में से क्षमता युक्त चिकित्सा इकाईयों के चिन्हीकरण हेतु 'उ0प्र0 के स्वास्थ्य केन्द्र (UPKSK)/ IPHS असेसमेंट के डेटा का विशलेषण करते हुये सूचना तैयार की जायें तथा जनपदों के चिन्हित इकाईयों के एन.क्यू.ए.एस सर्टिफिकेशन हेतु दिशा–निर्देश प्रेषित किया जायें।

   (कार्यवाहीः महाप्रबंधक–क्यू.ए./महाप्रबंधक–डी.एच.एस/यू.पी.टी.एस.यू./समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी)

3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (FRU) में NQAS, लक्ष्य एवं मुस्कान के सर्टिफिकेशन हेतु ओ0टी0, लेबर रूम, ब्लड स्टोरेज यूनिट (BSU) न्यूबार्न बार्न सिंक यूनिट (NBSU) की क्रियाशीलता सुनिश्चित की जायें। 'लक्ष्य' एवं 'मुस्कान' सर्टिफिकेशन हेतु मातृ स्वास्थ्य कंसल्टेंट को उत्तरदायी बनाया जायें।

   (कार्यवाहीः महाप्रबंधक–क्यू.ए./मातृ स्वा0/बाल स्वा0 /यू.पी.टी.एस.यू./समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी)

4. नेशनल NQAS सर्टिफिकेशन प्राप्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (60) चिकित्सा अधीक्षक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (21) के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की रणनिति एवं सुझाव को कम प्रगति वाले जनपदों के संबंधित अधिकारियों के साथ राज्य स्तर पर भौतिक रूप से बैठक की जाये तथा एन.क्यू.ए.एस. सर्टिफिकेशन कराये जाने हेतु रणनीति तैयार की जायें।

   (कार्यवाहीः महाप्रबंधक–क्यू.ए./निदेशक चिकित्सा उपचार/जपाईगो)

5. जिन जनपदों में डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट–क्यू.ए. के पद रिक्त है, उन जनपदों में NQAS सर्टिफिकेशन की प्रगति भी कम है। उक्त के दृष्टिगत समस्त डिवीजनल कंसल्टेंट क्यू.ए. एवं पी.एच. को उनके मण्डल में डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट–क्यू.ए. के रिक्त पद/कम प्रगति वाले जनपदों में तैनात किया जायें।

   (कार्यवाहीः महाप्रबंधक–क्यू.ए./महाप्रबंधक–मानव संसाधन)

6. कायाकल्प गतिविधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कायाकल्प इंसेन्टिव हेतु अर्ह चिकित्सा इकाईयों को नियमानुसार इंसेन्टिव जनपदों को आवंटित किया जाये।

   (कार्यवाहीः महाप्रबंधक–क्यू.ए.)

7. जनपद स्तरीय चिकित्सालय जो मेडिकल कालेज के रूप में उच्चीकृत हो चुके है तथा जिनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत हास्पिटल मैनेजर तैनात है, में 'लक्ष्य'(LaQshya) तथा मुस्कान (MusQan) सर्टिफिकेशन हेतु आवेदन 'सक्षम' पोर्टल पर अपलोड कराये जायें।

   (कार्यवाहीः महाप्रबंधक–क्यू.ए./महाप्रबंधक–मातृ स्वास्थ्य/समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी)

8. जिन जनपदों में डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट तैनात है, फिर भी 31 जुलाई, 2025 तक 20 से कम चिकित्सा इकाईयॉ NQAS सर्टिफाइड है, उन डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट–क्वालिटी एश्योरेंस को चेतावनी पत्र प्रेषित किया जायें।

   (कार्यवाहीः महाप्रबंधक–क्यू.ए./महाप्रबंधक–मानव संसाधन)

9. चिकित्सा इकाईयों को 'पाल्यूशन कंन्ट्रोल बोर्ड' द्वारा 'आथराइजेशन' प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, उन चिकित्सा इकाईयों की कठिनायों का विश्लेषण कर समाधान उपलब्ध कराया जायें। बायोमेडिकल वेस्ट अधिनियम 2016 एवं 2019 का अध्ययन विषय विशेषज्ञ के साथ करते हुये चिकित्सा इकाईयों की कठिनाइयों एवं समस्याओं के समाधान हेतु जपाईगो के सहयोग से विचार विमर्श किया जाना है।

(कार्यवाहीः महा0नि0 चि0 स्वा0/महाप्रबंधक–क्यू.ए./महाप्रबंधक–आई.एम.ई.पी./जपाईगो)

10. एफ.आर.यू चिकित्सा इकाईयों में सर्जन और गाइनेकोलजिस्ट तैनात है, उन चिकित्सा इकाईयों की ओ. टी. कियाशील हेतु उनका गैप क्लोजर करते हुए 'लक्ष्य' सर्टिफिकेशन को प्राथमिकता की जायें।

(कार्यवाहीः महानिदेशक चि0 स्वा0/महाप्रबंधक– मातृ स्वास्थ्य/समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी)

11. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को अग्निशमन विभाग द्वारा नो आब्जेक्सन सर्टिफिकेट (NOC) प्राप्त कराने हेतु जनपदों द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुये आवेदन किया जाना है।

(कार्यवाहीः महानिदेशक चि0 स्वा0/समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी)

12 दिसम्बर 2025 तक 50 प्रतिशत चिकित्सा इकाईयों को NQAS सर्टिफिकेशन प्राप्त कराने में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (उपकेन्द्र) को प्राथमिकता के आधार पर सर्टिफिकेशन कराना प्रमुख रणनीति होनी चाहिए।

(कार्यवाहीः महाप्रबंधक–क्यू.ए./कम्यु0 प्रोसेस/समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी)

13 NQAS सर्टिफिकेशन की प्रगति समीक्षा हेतु प्रत्येक जिला स्वास्थ्य की मीटिंग में एजेण्डा बिन्दु सम्मिलित किया जाये तथा सघन समीक्षा तथा कार्ययोजना तैयार की जायें।

(कार्यवाहीः महाप्रबंधक–क्यू.ए./समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी)

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।